Law of Diminishing Marginal Utility
(ह्रासमान उपयोगिता ह्रास-नियम)

सर्वप्रथम इस नियम का जिक्र 19वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था; अतः इस नियम को The First Law Of Gossen भी कहते हैं। Gossen के शब्दों में जैसे-जैसे हम एक ही वस्तु की और समान संतोष की अधिक मात्रा प्राप्त करते जाते हैं, वैसे-वैसे उसमें तबतक कमी आती जाती है जबतक पूर्ण रूप से संतुष्टि न पहुँच जाए। इसके बाद Marshall ने इस नियम की व्याख्या की है।

Marshall के अनुसार "एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि होने से वो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम होता जाता है।"

उदाहरण के लिए - गर्मी के दिनों प्यास लगे व्यक्ति जब अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी का पहला गिलास पीता है तो उससे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। पुनः जब व्यक्ति पानी का दूसरा गिलास होता है तो उससे संतुष्टि तो मिलती है लेकिन पहले वाले से कम मिलती है। यदि तीन गिलास से व्यक्ति की प्यास बुझ जाए तो चौथा गिलास पानी नहीं पीना चाहेगा। चौथे गिलास अगर पी भी ले तो उसे उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी प्यास अब खत्म हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों मनुष्य अपना आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की इकाईयों को उपभोग करता जाता है त्यों-त्यों उसके लिए वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है। मानव स्वभाव की इसी प्रवृत्ति पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होता है जब कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाए या कुछ विशेष परिस्थिति विद्यमान रहे। हम इन्हें इस नियम की मान्यताएँ कहते हैं

सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएँ या सीमाएँ

Assumption or limitation of the Law of Diminishing Marginal Utility

i) उपभोग की प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए।
ii) उपभोक्ता का फैशन, आदत एवं रुचि समान रहनी चाहिए।
iii) वस्तु की सभी इकाइयाँ माप एवं गुण समान होनी चाहिए